इकाई 8 महिलाओं के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम और कानून

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 परिचय

8.2 महिलाओं के लिए नीतियों का विकास

8.3 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीतियां

- 8.3.1 महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति, 2001
- 8.3.2 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति, 2016

8.4 पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम

8.5 महिला सशक्तिकरण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था

8.6 आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम

- 8.6.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- 8.6.2 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)
- 8.6.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)
- 8.6.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- 8.6.5 कृषि और भूमि प्रबंधन में महिलाएं
- 8.6.6 रोजगार और आय सृजन
- 8.6.7 स्वयंसिद्ध
- 8.6.8 स्व–शक्ति परियोजना
- 8.6.9 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एसटीईपी)
- 8.6.10 स्वाब्लम्बन
- 8.6.11 लघु/कुटीर उद्योगों में महिलाएं
- 8.6.12 असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएं
- 8.6.13 महिला, सूक्ष्म ऋण और उद्यमिता
- 8.6.14 भारत में महिला उद्यमियों के लिए नीतियां और योजनाएं
- 8.6.15 ग्रामीण विकास मंत्रालय में महिला घटक
- 8.6.16 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- 8.6.17 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)
- 8.6.18 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- 8.6.19 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

8.7 सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम

- 8.7.1 राष्ट्रीय पोषण नीति (1993)
- 8.7.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017)
- 8.7.3 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000)
- 8.7.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
- 8.7.5 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)
- 8.7.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

8.7.7 महिला सशक्तिकरण के लिए दूरस्थ शिक्षा
8.7.8 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (आरएसपी)
8.7.9 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम
8.7.10 महिलाएं और पर्यावरण
8.8 राजनीतिक सशक्तिकरण
8.9 आइए संक्षेप में बताते हैं
8.10 मुख्य शब्द
8.11 सुझाए गए अध्ययन

8.0 उद्देश्य

ईकाई को पढ़ने के बाद, आप कर पाएंगेः

- भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को समझना;
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों को जानें;
- सामाजिक क्षेत्र से संबंधित नीतियों और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति में महिलाओं के लिए प्रावधानों से खुद को परिचित करें;
- महिलाओं की उन्नति के लिए प्रशासनिक संस्थानों को इंगित करें;
- विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत महिलाओं पर जोर देने की पहचान करना और
- महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं पर प्रकाश डाल सकंगें।

8.1 परिचय

पूरी दुनिया में, महिलाओं को काम के अत्यधिक बोझ और शक्ति और प्रभाव की कमी के कारण अपने जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वे पुरुषों की तुलना में कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करती हैं; यहां तक कि उनके स्वयं के ज्ञान, क्षमताओं और मुकाबला तंत्रो से अक्सर अपरिचित हो जाती हैं। समाज में शक्ति संबंध जो महिलाओं की स्वस्थ और पूर्ण जीवन की प्राप्ति में बाधा डालते हैं, कई स्तरों पर काम करते हैं, जो सबसे व्यक्तिगत से लेकर अत्यधिक सार्वजनिक तक होते हैं। बदलाव के लिए आजीविका स्रोतों और आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करने, घर के काम के संबंध में उनकी चरम जिम्मेदारियों को कम करने, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी में कानूनी बाधाओं को दूर करने और प्रभावी तरीके से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नीतियों और कार्य–कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। (शिक्षा और मास मीडिया) के माध्यम से अपनी प्रस्तावना में संविधान ने ''अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने के उद्देश्यों को निर्धारित किया हैय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रताय स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देना''। इन्हें प्राप्त करने के लिए यह भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

संविधान महिलाओं के अधिकारों के लिए कई सुरक्षा उपाय करता है। अनुच्छेद 14 राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता हैय मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है; अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अवसरों की समानता प्रदान करता है। राज्य के निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के साधनों और समान वेतन का अधिकार प्रदान करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा समान कार्य के लिए और अनुच्छेद 42 निर्देशित करता है

राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 51 (ए) (ई) प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए एक मौलिक कर्तव्य लगाता है। व्यक्ति के इन संवैधानिक अधिकारों और राज्य के दायित्वों को महिलाओं से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों के माध्यम से लागू किया जाता है। यह इकाई आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों से परिचित कराएगी। आइए पहले महिलाओं पर नीतियों पर चर्चा करें।

8.2 महिलाओं के लिए नीतियों का विकास

स्वतंत्र भारत ने अपनी राष्ट्रीय योजना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी भूमिका के बीच बातचीत के कारण आंशिक रूप से कल्याण से मानव विकास के लिए विकास योजना के अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखा है। महिलाओं, लिंग और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सोच में कई बदलाव हुए हैं, बड़े पैमाने पर महिलाओं की स्थिति और जीवन स्तर में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से। भारत ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकारों की पुष्टि की है। उनमें से, सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) है जो समानता के मूल मॉडल को बढ़ावा देता हैः अवसर की समानता, पहुंच की समानता और अधिकारों की समानता। अन्य उल्लेखनीय उपकरणों में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर कन्वेंशन शामिल हैं। भारत ने मेक्सिको कार्य योजना, नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज और बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन का भी समर्थन किया है।

हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर, कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974—78) के बाद से महिलाओं के मुद्दों अर्थात् कल्याण से विकास की ओर दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है। हाल के वर्षों में, महिला सशक्तिकरण को उनकी स्थिति निर्धारित करने में केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। 1971 में, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के एक प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा के इशारे पर भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति (सीएसडब्ल्यूआई) का गठन किया गया था, जिसने वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाई जाने

वाली अपनी रिपोर्ट, ''समानता की ओर'' प्रस्तुत की थी। सीएसडब्ल्यूआई की सिफारिशों को लागू करने के लिए, भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 1976 में कार्य बिंदुओं और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का खाका तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए रोजगार पर कार्य समूह, 1978 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई ग्रामीण महिलाओं के ग्राम स्तरीय संगठनों के विकास पर कार्य दल की रिपोर्ट के रूप में, 1978।

महिलाओं के आंदोलन और गैर–सरकारी संगठनों के एक व्यापक नेटवर्क ने अपनी मजबूत जमीनी उपस्थिति और महिलाओं की चिंताओं में गहरी अंतर्दृष्टि के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए पहल को प्रेरित करने में बहुत योगदान दिया है। हालाँकि, एक तरफ संविधान में निर्धारित लक्ष्यों, कानूनों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और संबंधित तंत्रों और दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति की स्थितिजन्य वास्तविकता के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है। रिपोर्ट, टुवर्ड्स इक्वलिटी ने इस अंतर का व्यापक विश्लेषण किया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988–2000, श्रमशक्ति रिपोर्ट, 1988 और प्लेटफार्म फार अक्शन, पाँच साल बाद एक आकलन ने इसे उजागर किया है।

8.3 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीतियां

8.3.1 महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति, 2001

सरकार द्वारा 20 मार्च, 2001 को अपनाई गई इस नीति का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इसमें न्यायिक–कानूनी प्रणाली, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सहित उनके सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा और हिंसा के खिलाफ सुरक्षा, महिलाओं और निर्णय लेने, महिलाओं और मीडिया, महिलाओं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बालिकाओं आदि से संबंधित लैंगिक मुद्दे शामिल थे। इसने मुद्दों के लिए नुस्खे प्रदान किए और विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से उन्हें अपने संसाधनों और कार्यों के तहत कवर करने का आहवान किया। इसने महिला घटक योजना के तहत आवंटन निर्धारित करने के महत्व पर भी जोर दिया और जेंडर बजट की आवश्यकता को प्राथमिकता दी।

इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010 तक प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के साथ एक कार्य योजना (पीओए) का मसौदा तैयार किया गया था जिसमें कार्यान्वयन के लिए संसाधनों और जिम्मेदारियों की प्रतिबद्धता की पहचान की गई थी और निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र और संरचनाओं को मजबूत किया गया था। परिचालन रणनीति में लैंगिक लेखा परीक्षा की एक विधि के रूप में लिंग विकास सूचकांक विकसित करने पर जोर दिया गया और योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उपयोगी जेंडर अलग–अलग डेटा एकत्र करने के महत्व पर जोर दिया गया।

8.3.2 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति, 2016

पिछले कुछ दशकों में धीरे–धीरे विकसित हुए महिला सशक्तिकरण पर प्रवचन में, महिलाओं को कल्याणकारी लाभों के प्राप्तकर्ताओं के रूप में देखने से लेकर लैंगिक चिंताओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल करने तक एक प्रतिमान बदलाव देखा गया है। इन परिवर्तनों ने महिला सशक्तिकरण के लिए नए

अवसर और संभावनाएं लाई हैं, फिर भी उभरती चुनौतियां और निरंतर सामाजिक–आर्थिक समस्याएं लैंगिक समानता और महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में बाधा डाल रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए एक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2016 में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति शुरू की।

इस नीति का उद्देश्य महिलाओं का स्थायी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण बनाना है ताकि वे अपने अधिकारों और हकदारियों का दावा कर सकें और संसाधनों पर नियंत्रण कर सकें और लैंगिक समानता और न्याय के सिद्धांतों की प्राप्ति में रणनीतिक विकल्प तैयार कर सकें। यह एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करें और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदार के रूप में भाग लें। इसमें नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं को विकसित करने और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए एक प्रभावी ढांचे पर भी जोर दिया गया। इसका व्यापक उद्देश्य एक अनुकूल सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण बनाना है ताकि महिलाओं को न्यायिक और वास्तविक मौलिक अधिकारों का आनंद मिल सके और उन्हे अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो सके।

- फोकस के प्रमुख क्षेत्र

खाद्य सुरक्षा और पोषण सहित स्वास्थ्य : महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करना, परिवार नियोजन फोकस को पुरुषों पर भी स्थानांतरित करना, मनोवैज्ञानिक और सामान्य भलाई जैसे जीवन चक्र निरंतरता में स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करना, पोषण/किशोरावस्था, वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार और कुपोषण के अंतःक्रियात्मक चक्र को संबोधित करना।

शिक्षा : पूर्व–प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार, किशोरियों के नामांकन और प्रतिधारण, बेहतर स्कूली शिक्षा परिणामों के लिए अभिनव परिवहन मॉडल लागू करना, लिंग चौंपियन की वकालत करना और आईसीटी के संबंध में असमानताओं को दूर करना।

अर्थव्यवस्था : दृश्यता बढ़ाना, वृहद–आर्थिक नीतियों और व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, जेंडर अलग–अलग भूमि स्वामित्व डेटाबेस तैयार करना, महिलाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास, श्रम कानूनों और नीतियों की समीक्षा, मातृत्व और बाल देखभाल सेवाओं से संबंधित उचित लाभों के साथ समान रोजगार के अवसर, महिलाओं की तकनीकी जरूरतों को संबोधित करना।

शासन और निर्णय लेना : राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन, सिविल सेवाओं और कॉर्पोरेट बोर्डरूम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा : जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को संबोधित करनाय प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षाध्सामंजस्य स्थापित करना

प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए महिलाओं से संबंधितय बाल लिंग अनुपात में सुधारय सलाह, दिशानिर्देशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और प्रोटोकॉल का सख्ती से कार्यान्वयनय नेटवर्क की प्रभावी निगरानी के लिए स्रोत, पारगमन और गंतव्य क्षेत्रों

में तस्करी की रोकथाम।

पर्यावरण को सक्षम बनाने में : आवास और बुनियादी ढांचे में लैंगिक परिप्रेक्ष्य, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुनिश्चित करना, मास मीडिया और खेल में लैंगिक समानता, सभी महिलाओं विशेष रूप से कमजोर, हाशिए पर, प्रवासी और एकल महिलाएं के लिए सामाजिक सुरक्षा और समर्थन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के कारण प्राकृतिक आपदाओं के समय संकट–प्रवास और विस्थापन के दौरान लैंगिक चिंताओं को संबोधित करना; महिलाओं के लिए पर्यावरण के अनुकूल, नवीकरणीय, गैर–पारंपरिक ऊर्जा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना ग्रामीण परिवारों में नीति में उभरते मुद्दों जैसे महिलाओं के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना, लिंग–भूमिकाओं का पुनर्वितरण, अवैतनिक देखभाल कार्य को कम करना, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत और प्रथागत कानूनों की समीक्षा, महिलाओं के मानवाधिकारों के ढांचे के भीतर वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की समीक्षा आदि विकासात्मक प्रतिमानों में प्रासंगिक है।

नीति में निर्धारित : प्रचालनात्मक कार्यनीतियां कार्य योजना और प्रभावी लैंगिक संस्थागत संरचना के माध्यम से विधानों के कार्यान्वयन और मौजूदा संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं। वकालत और हितधारक–साझेदारी, अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण, लिंग बजट और लिंग–अलग डेटा की पीढ़ी पर उचित ध्यान दिया गया था।

8.4 पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम

पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) से ही सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाले महिला विकास को 'कल्याण' का विषय माना गया है, जिसे निराश्रित, विकलांग, वृद्ध आदि जैसे वंचित समूहों के कल्याण के साथ जोड़ा गया है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी), 1953 में स्थापित, विभिन्न स्तरों पर, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष निकाय, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण से संबंधित गतिविधियां करता है। योजनाएं, द्वितीय से पांचवीं (1956–79), महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने और मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के उपाय करने, बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक आहार के अलावा, एक ही कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना जारी रखती हैं।

महिलाओं के 'कल्याण' से 'विकास' के दृष्टिकोण में बदलाव केवल छठी योजना (1980–85) में हुआ, जिसने तीन प्रमुख क्षेत्रोंः स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर देने के साथ एक बहु–विषयक दृष्टिकोण अपनाया। सातवीं योजना (1985–90) में, विकास कार्यक्रम महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के प्रमुख उद्देश्य के साथ जारी रहे। एक महत्वपूर्ण कदम विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में 'लाभार्थी उन्मुख योजनाओं' (बीओएस) की पहचानध्संवर्धन करना था, जिससे महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

समुचित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। आठवीं योजना (1992–97) ने मानव

विकास पर अपने प्रमुख ध्यान के साथ, महिलाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि विभिन्न क्षेत्रों से विकास के लाभ महिलाओं को दरकिनार न करें, सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए विशेष कार्यक्रमों को लागू करने और अन्य विकास क्षेत्रों से महिलाओं को लाभ के प्रवाह की निगरानी करने और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए विकास प्रक्रिया में समान भागीदारों और प्रतिभागियों के रूप में कार्य करें।

नौवीं योजना (1997—2002) में महिलाओं के लिए नियोजन की वैचारिक रणनीति में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहला, 'महिला सशक्तिकरण' इसके नौ प्राथमिक उद्देश्यों में से एक बन गया। इस आशय के लिए, एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए योजना का दृष्टिकोण था जहां महिलाएं पुरुषों के साथ समान भागीदारों के रूप में घर के भीतर और बाहर दोनों जगह स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती थीं। दूसरा, योजना में महिला विशिष्ट और महिलाओं से संबंधित दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध 'मौजूदा सेवाओं के अभिसरण' का प्रयास किया गया था। दसवीं योजना (2002—07) ने नौवीं योजना के उद्देश्यों को दोहराया और महिलाओं के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक सक्षम वातावरण बनाकर बालिकाओं की बेहतरी के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण की फिर से पुष्टि की, जिससे उनकी पूरी क्षमता का एहसास हुआ।

ग्यारहवीं योजना (2007—2012) में लैंगिक समानता के लिए पांच गुना एजेंडा पेश किया गया थाः

i) आर्थिक सशक्तिकरणय

ii) सामाजिक सशक्तिकरणय

iii) राजनीतिक सशक्तिकरणय

iv) महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना।

v) लिंग—उत्तरदायी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन और अनिवार्य प्रसूति देखभाल सुनिश्चित करके लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए वितरण तंत्र का विस्तार करना।

'तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास' के रूप में शीर्षक वाली बारहवीं योजना (2012—2017) ने एकल महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था के लिए जोर दिया, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो पसंद से एकल थीं। कृषि और पशुपालन दोनों में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि नीतियोंध्योजनाओं को तैयार करने में महिलाओं की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और शासन पर था।

8.5 महिला सशक्तिकरण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था

कई सरकारी संस्थान महिलाओं की उन्नति में योगदान देते हैं। 1985 में, महिलाओं से संबंधित योजनाओं की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके), 1993 में स्थापित एक राष्ट्रीय तंत्र, एनजीओ—माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को ऋण प्रदान करता है, जिसे मध्यस्थ संगठन (आईएमओ) कहा जाता है, जो अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब

और परिसंपत्ति–घाटे वाली महिलाओं की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को उधार देते हैं। आरएमके ने सूक्ष्म वित्तपोषण, बचत ऋण, एसएचजी के गठन और स्थिरीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने और गरीब महिलाओं के लिए उद्यम विकास की दिशा में कई संवर्धनात्मक उपाय किए हैं। इसकी ऋण योजनाओं में शामिल हैं:

- ऋण प्रोत्साहन योजना
- मुख्य ऋण योजना
- गोल्ड क्रेडिट स्कीम
- आवास ऋण योजना
- वर्किंग कैपिटल टर्म लोन स्कीम
- बार–बार ऋण योजना

1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के पास महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने का जनादेश है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में संविधान के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, जांच और समीक्षा करनाय महिला–विशिष्ट और महिला–संबंधित दोनों कानूनों की समीक्षा करना और जहां भी आवश्यक हो संशोधनों का सुझाव देना और निगरानी रखने और महिलाओं की शिकायतों के निवारण की सुविधा के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना शामिल है। कुल मिलाकर 41 कानूनों का महिलाओं पर सीधा असर पड़ता है। उनमें से 32 अधिनियमों की समीक्षा की गई है, जिसमें आगे की कार्रवाई के लिए उपचारात्मक विधायी उपायों का सुझाव दिया गया है। यह महिलाओं के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह अपनी शिकायत और परामर्श इकाई, अदालत के हस्तक्षेप और सेमिनारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। यह कार्यशालाओं, सम्मेलनों और सार्वजनिक सुनवाई की सुविधा भी प्रदान करता है।

केन् द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीडब्ल्यूबी) महिलाओं के विकास के मुद्दों पर काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों और अन् य एजेंसियों को धन राशि उपलब् ध कराता है। 1997 में, विकास और सशक्तिकरण पहलों की निगरानी के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। अंत में, मंत्रालयों में बीजिंग सम्मेलन के बाद के युग में राज्य और राष्ट्रीय स्तर और सांसदों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए।

8.6 आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम

भारत में सरकार ने गरीबी दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाएं शुरू की हैं। आइए हम प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा करें।

8.6.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

ग्रामीण लोगों की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करते हुए, यह अधिनियम उन परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के लिए मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है जिनके

वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी का अधिकार है और यदि राज्य आवेदन के 15 दिनों के भीतर नौकरी प्रदान करने में असमर्थ है, तो यह श्रमिक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार बनाता है।

सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को इस योजना के तहत प्राथमिकता मिलती है और लाभार्थियों में से 33% महिलाएं हैं। मनरेगा में भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया है ।

8.6.2 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)

इसमें खामियों को ध्यान में रखते हुए, पहले की ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 2016 में पीएमएवाई–जी में पुनर्गठित किया गया था, जिसमें 2022 तक सभी के लिए आवास प्राप्त करने की प्रतिबद्धता थी। इसका उद्देश्य शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पेयजल सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ ठोस और स्थायी आवास प्रदान करना है। इसके लक्षित लाभार्थी महिला मुखिया वाले परिवार हैं, जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष की आयु के कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, विधवाओं वाले परिवार और एकल बालिका हैं।

8.6.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

पीडीएस का उद्देश्य खाद्य की कमी का प्रबंधन करना और किफायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं का वितरण करना है। महिलाओं सहित गरीबों को खाद्य संसाधनों का आबंटन करने के लिए जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी ताकि मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का वितरण किया जा सके। यह गरीबी उन्मूलन योजना ग्रामीण भारत में खाद्य असुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करती है, जिसमें 75% ग्रामीण आबादी और लगभग आधी शहरी आबादी शामिल है। आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौद्रिक और पोषण संबंधी सहायता अनिवार्य की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) बीपीएल आबादी के सबसे गरीब वर्गों में भूख को कम करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दिशा में उठाया गया एक कदम था।

8.6.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में शुरू की गई और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबो को वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक कुशल और प्रभावी प्रणाली बनाना है।

इसकी शुरुआत महिलाओं को लक्षित करने के साथ हुई, जिन्हें उनके परिवारों के प्रतिनिधियों के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाकर और उनकी घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाकर स्थायी अवसर पैदा करना है। आय सृजक परिसंपत्तियों के अलावा गरीबों को अधिकारों, हकदारियों और सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी सुविधा प्रदान की जानी थी। इसका उद्देश्य गरीबों की जन्मजात क्षमताओं का

दोहन करना और उन्हें भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने की क्षमता के साथ पूरक बनाना है। 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई–एनआरएलएम) कर दिया गया है।

8.6.5 कृषि और भूमि प्रबंधन में महिलाएं

मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर कृषि क्षेत्र में लैंगिक अंतर जारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल महिला मुख्य श्रमिकों में से 55% कृषि मजदूर थीं और 24% कृषक थीं। हालांकि, परिचालन होल्डिंग्स का केवल 12.8% महिलाओं के स्वामित्व में था। यह भूमि जोत के स्वामित्व में लैंगिक असमानता को दर्शाता है। अधिकांश (89.5%) महिला कार्यबल कृषि क्षेत्र में केंद्रित हैं और इसलिए वे दोगुना हाशिए पर हैंः पहला, महिलाओं के रूप में और दूसरा, भूमिहीन मजदूरों के रूप में, जिनके पास विरासत का अधिकार नहीं है, या तो भूमि या अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों का।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 से पता चलता है कि पुरुषों के बढ़ते ग्रामीण–शहरी पलायन और परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र का 'स्त्रीकरण' किसानों, उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में कई भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या के साथ है। इसके लिए महिला किसानों की भूमि, जल, ऋण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण जैसे संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके अलावा, महिला किसानों की पात्रता – कृषि उत्पादकता में सुधार की कुंजी है। भूमि, ऋण, पानी, बीज और बाजार जैसे संसाधनों तक महिलाओं की अंतर पहुंच को संबोधित करने की आवश्यकता है।

कृषि मूल्य श्रृंखला– उत्पादन, कटाई–पूर्व और कटाई के बाद प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन के सभी स्तरों पर महिलाओं की प्रधानता के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए लिंग–विशिष्ट हस्तक्षेपों को अपनाना अनिवार्य है। एक 'समावेशी परिवर्तनकारी कृषि नीति' का उद्देश्य छोटे कृषि जोतों की उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण परिवर्तन में सक्रिय एजेंटों के रूप में महिलाओं को एकीकृत करने और लैंगिक विशेषज्ञता के साथ विस्तार सेवाओं में पुरुषों और महिलाओं को संलग्न करने के लिए लिंग–विशिष्ट हस्तक्षेप करना होना चाहिए।

8.6.6 रोजगार और आय सृजन

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश का तात्पर्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना है। यह लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक सीधा रास्ता तय करता है।

समग्र/सर्वांगीण विकास पर केंद्रित महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों, विशेषरूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की भलाई सुनिश्चित करता है। यह योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता हैय सरकारी और गैर–सरकारी दोनों संगठनों के प्रयासों का मार्गदर्शन और समन्वय करता है और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है और सहायता करता है। इसकी गतिविधियों में मोटे तौर पर शामिल हैंः

- महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम
- बाल कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम
- समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)

8.6.7 स्वयंसिद्ध

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन पर आधारित महिला सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना स्वयंसिद्ध, 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के लामबंदी, जागरूकता सृजन और अभिसरण के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के उद्देश्य से था। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य सभी चालू क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निरंतर जुटाव और अभिसरण के माध्यम से संसाधनों तक उनकी सीधी पहुंच और नियंत्रण सुनिश्चित करके महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण था। इसने कौशल वृद्धि, आय सृजन के अवसर प्रदान करके और शराब, दहेज और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करके ग्रामीण गरीब महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अविश्वसनीय सुधार किया है। यह मार्च 2008 में समाप्त हो गया।

8.6.8 स्व–शक्ति परियोजना

अप्रैल 1999 में शुरू की गई (पहले, जिसे ग्रामीण महिला विकास और सशक्तिकरण परियोजना के रूप में जाना जाता था) इस परियोजना ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने में एक नई शुरुआत की। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत महिला और बाल विकास के नोडल विभाग द्वारा लागू किया गया था।

महिला समूहों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम में इसके छह साल के सफल हस्तक्षेप ने महिलाओं को समाज के सक्रिय, मुखर और मुखर सदस्यों में बदल दिया। इसने विभिन्न राज्यों के 57 जिलों में महिलाओं के 17,647 स्वयं सहायता समूहों (2.5 लाख से अधिक महिला कृषकों और कृषि श्रमिकों को कवर करते हुए) की स्थापना की। इन समूहों ने अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने की महिलाओं की क्षमता बढ़ाने, उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने, अपने प्रबंधकीय और कौशल आधार में सुधार करने और सामूहिक कार्रवाई के महत्व को महसूस करने में अधिक महत्वपूर्ण रूप से वाहनों के रूप में कार्य किया।

8.6.9 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एसटीईपी)

1986–87 में शुरू किया गया और 2009 में संशोधित, स्टेप ने महिलाओं की उत्पादकता बढ़ाकर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के उद्देश्य से इनपुट के एक एकीकृत पैकेज की वकालत की और उन्हें आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाया। इसकी परियोजनाओं ने समूह को विकसित करने का प्रयास किया ताकि वे पूरा होने के बाद न्यूनतम सरकारी समर्थन और हस्तक्षेप के साथ बाजार में अपने दम पर फलने–फूलने और बनाए रखने के लिए विकसित हो सकें। इसने न केवल महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और विपणन कौशल प्रदान किया, बल्कि बाल विवाह सहित लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता का भी प्रसार किया। इसे 31 मार्च, 2019 को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसका उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रदान किए गए कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम के समान था, जिसका उद्देश्य महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों की जरूरतों को पूरा करना है।

8.6.10 स्वाब्लम्बन/स्वाबलंबन

नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एनओआरएडी) की सहायता से 1982–83 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को निरंतर आधार पर उनके रोजगार या स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना है। इसके लक्षित समूह में गरीब और जरूरतमंद महिलाएं शामिल थीं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों की महिलाएं शामिल थीं। इसकी सफलता ने जमीनी स्तर पर वंचित महिलाओं को कौशल प्रदान करने में अनौपचारिक और कम लागत वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।

8.6.11 लघु/कुटीर उद्योगों में महिलाएं

लघु औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देता है, जिससे वे अपने भविष्य के लिए अपनी परिवार योजना की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और अपने काम की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं, विशेषरूप से दसवीं योजना में उन पारंपरिक क्षेत्रों की पहचान की गई जो प्रौद्योगिकी की उन्नति, बाजार में बदलाव और आथक नीतियों में परिवर्तन के कारण सिकुड़ रहे थे और रोजगार के उभरते क्षेत्रों में नौकरियों के लिए विस्थापित महिलाओं के कौशल को पुन प्रशिक्षित/उन्नयन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशम उत्पादन, लघु और कुटीर उद्योगों जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में मजदूरीध्स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए थे।

8.6.12 असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएं

भारत में, 95% महिलाएं असंगठित क्षेत्र या अवैतनिक श्रम में कार्यरत हैं। वे बिना किसी विधायी सुरक्षा उपायों के सबसे अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समान ही बढ़ती है, तो यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 27%तक बढ़ा सकता है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि भविष्य की विकास आकांक्षाओं को प्राप्त करने की कुंजी है।

8.6.13 महिला, सूक्ष्म ऋण और उद्यमिता

वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण तक महिलाओं की पहुंच सीमित है। सरकारी पहलों के अलावा अहमदाबाद में स्व–नियोजित महिला संघ (सेवा), चेन्नई में कामकाजी महिला फोरम (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) और मुंबई में अन्नपूर्णा महिला मंडल जैसे महिला संगठनों ने अपनी क्रेडिट जरूरतों को पूरा किया है, जिससे महिलाओं के जीवन में दूरगामी बदलाव आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन और विश्व बैंक जैसी दानदाता एजेंसियां भी गरीबी हासिल करने और उन्मूलन के साधन के रूप में सूक्ष्म वित्त की वकालत कर रही हैं।

महिला उद्यमिता परिवार और समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ाती है, गरीबी को कम करती है और महिलाओं को सशक्त बनाती है, इस प्रकार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान देती है। सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

8.6.14 भारत में महिला उद्यमियों के लिए नीतियां और योजनाएं

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक और यहां तक कि गैर–सरकारी संगठन भी संभावित महिला उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कई अन्य योजनाएं जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए प्रशिक्षण–सह–आय सृजन गतिविधियों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भी महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

विशेष योजनाओं के अलावा, एमएसएमई के लिए सरकारी योजनाएं महिला उद्यमियों के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन और रियायतें भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता देती है और इस योजना में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कई छूट भी देती है। एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत, एमएसएमई मंत्रालय का योगदान कुल परियोजना लागत का 30% से 80% तक है, लेकिन महिला उद्यमियों के स्वामित्व और प्रबंधन वाले क्लस्टरों के मामले में यह हो सकता है परियोजना लागत का 90% तक होना चाहिए। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत गारंटी कवर आमतौर पर दिए गए ऋणों के 75% तक उपलब्ध होता है, लेकिन यह महिलाओं द्वारा संचालित और/या स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 80% है।

8.6.15 ग्रामीण विकास मंत्रालय में महिला घटक

ग्रामीण भारत के विकास में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एक महिला घटक शुरू किया गया है। यह पर्याप्त संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करता है। मंत्रालय के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हैंः

i) मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,

ii) स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,

iii) प्रधानमंत्री आवास योजना – बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण ,

iv) गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,

v) सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम,

vi) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन,

vii) भूमि की उत्पादकता में सुधार के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम।

8.6.16 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

एसजीएसवाई, अप्रैल 1999 से कार्यान्वित की जा रही एक प्रमुख गरीबी विरोधी योजना है, जो ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित कर

रही है, उन्हें कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट लिंकेज प्राप्त करने में मदद कर रही है और उनके उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा और विपणन सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार लागत को 75:25 के अनुपात में साझा करती है। इस निधि का उपयोग परिक्रामी निधि के लिए सब्सिडी और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्कीम घटक के एक भाग का उपयोग समूहों के गठन और उनके बुनियादी अभिविन्यास और कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण के संचालन के लिए भी किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में गठित समूहों में से पचास प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, जो स्वरोजगारियों का कम से कम 40% हिस्सा है। महिलाओं को थ्रिफ्ट और क्रेडिट का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यह स्वरोजगार के अवसरबढ़ाकर महिलाओं को अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना चाहता है।

इससे पहले डीडब्ल्यूसीआरए, आईआरडीपी और टीआरवाईएसईएम जैसी योजनाओं को इस योजना के साथ विलय कर दिया गया था।

8.6.17 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)

पहले जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) का एक आधुनिक, कुशल और सर्व–समावेशी संस्करण 1 अप्रैल, 1999 को दोहरे उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था:

i) मांग आधारित सामुदायिक ग्राम अवसंरचना का सृजन और

ii) बेरोजगार गरीबों के लिए पूरक रोजगार का सृजन। यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मजदूरी–रोजगार प्रदान करता है। यह महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का 30% भी आरक्षित करता है।

8.6.18 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

2016 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के एक नए संस्करण के रूप में, इस आवास कार्यक्रम का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास का निर्माण करना और सभी के लिए आवास प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए पक्के मकान बनाने के अलावा, यह रियायती ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान करता है। विधवाओं, आय सृजन गतिविधि में लगे स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं और अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। (मकान) घर की महिला सदस्यों को या वैकल्पिक रूप से, पति और पत्नी के संयुक्त नामों में आवंटित किए जाते हैं ।

8.6.19 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया यह कल्याण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इसके तीन घटक हैं:

i) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना विशेष रूप से गर्भवती माताओं की सहायता करने के उद्देश्य से,

ii) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना महिलाओं और पुरूषों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है और

iii) शोक संतप्त परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक योजना प्राकृतिक या आकस्मिक कारणों से महिलाओं सहित अपने प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के सम्बसध में।

8.7 सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम

संविधान राज्य को लैंगिक समानता के माध्यम से लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देता है। लैंगिक न्याय के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई करते हुए सरकार ने महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए नीतियां, कार्यक्रम और विधान लागू किए हैं। आइए हम उन पर चर्चा करते हैं।

8.7.1 राष्ट्रीय पोषण नीति (1993)

इसने कुपोषण की सभी बहुआयामी समस्याओं और इससे संबंधित कमियों और बीमारियों को दूर करने के लिए एक व्यापक अंतर–क्षेत्रीय रणनीति की वकालत की। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए पोषण की इष्टतम स्थिति प्राप्त करना है, लेकिन महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए विशेष प्राथमिकता है, जो कमजोर होने के साथ–साथ 'जोखिम वाले' भी हैं।

8.7.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017)

यह सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति की परिकल्पना करता है। सभी विकासात्मक नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अभिविन्यास और वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से अपने लक्ष्य के रूप में इसका विशेष ध्यान महिलाओं पर है।

8.7.3 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000)

यह जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और दो बच्चों के मानदंड को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में गुणवत्तापूर्ण गर्भनिरोधक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। इसमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी, बच्चों के टीकाकरण, लड़कियों के लिए देरी से शादी को बढ़ावा देने और संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है।

8.6.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) ने सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के कार्य को एक बड़ी गति दी। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ 1988 में स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अर्थात, 2005 तक 75 प्रतिशत के एक सतत सीमा स्तर पर, देश में निरक्षरता को खत्म करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का पालन करना जारी रखा। महिला समाख्या योजना 1989 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कार्यक्रम में बदलने के लिए शुरू की गई थी विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के समूहों में। 2010 में भारत में शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई और प्राथमिक

विद्यालयों में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट किया। यह सरकार की यह सुनिश्चित करने की चिंता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि इस देश में जन्मलेने वाला प्रत्येक व्यक्ति साक्षरधशिक्षित हो।

8.7.5 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

बेटियों को बचाओ, बेटियों को शिक्षित करो 2015 में कल्पना की गई, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- घटते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) को दूर करें
- लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने में मदद
- बालिकाओं की रक्षा करें
- बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करें

इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 2011 की जनगणना के अनुसार चुने गए सीएसआर में कम 100 जिलों में एक केंद्रित कार्रवाई के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें से 23 राज्यों के 87 जिले राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, 8 राज्यों के 8 जिले जो औसत से ऊपर हैं लेकिन गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है, 5 राज्यों के 5 जिले जो औसत से ऊपर हैं और बढ़ते रुझान दिखाए गए हैं। 100 चयनित जिलों से आगे बढ़ते हुए 918 से कम बाल लिंग अनुपात वाले 11 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 61 अतिरिक्त जिलों का चयन किया गया है। 8 मार्च 2018 को, जनगणना में सभी 640 जिलों को कवर करने के लिए बीबीबीपी का अखिल भारतीय विस्तार शुरू किया गया था।

8.7.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

लड़कियों की नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए लैंगिक समानता और समावेश को बढ़ावा देने की वकालत करता है। यह लड़कियों के साथ–साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान शिक्षा की दिशा में लिंग समावेशन कोष जैसे लिंग मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशेष धन की भी वकालत करता है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में लड़कियों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक अंतर को दूर करना है। यह लड़कियों और उनके परिवारों पर शिक्षा प्रभाव का सकारात्मक गुणक सुनिश्चित करना चाहता है और अधिक लड़कियों को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

8.7.7 महिला सशक्तिकरण के लिए दूरस्थ शिक्षा

यह परियोजना पूरे देश में दूरस्थ मोड के माध्यम से स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामुदायिक आयोजकों, सामाजिक एनिमेटरों, सुविधाप्रदाताओं, स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों आदि को ''स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने'' के लिए प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करती है। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है (एसएचजी)। इसके तहत समाज के इस वंचित वर्ग के साथ नियमित टेलीकांफ्रेंसिंग के लिए देश भर में 150 केंद्रों पर डायरेक्ट सैटेलाइट रिसीविंग

सिस्टम स्थापित किया गया है।

8.7.8 ग्रामीण स् वच् छता कार्यक्रम (आरएसपी)

केन्द्र प्रायोजित आरएसपी में 1992–93 से 1996–97 तक ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छता शौचालयों के निर्माण का प्रावधान किया गया था। जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय व्यवहार्य नहीं थे, वहां गोपनीयता/गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए ग्राम स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा सकता है इसके तहत होने वाली पूंजीगत लागत को पूरा करने के लिए परियोजना लागत का 10 फिसदी तक उपयोग किया जा सकता है।

केंद्र, राज्य और पंचायतध्समुदाय के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न 60:20:20 था।

8.7.9 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

इस कार्यक्रम ने महिलाओं को पेयजल की आपूर्ति के लिए हैंडपंपों के उपयोग और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व ग्राम स्तरीय समितियों में किया जाता है और वे हैंडपंपों और अन्य स्रोतों के लिए साइटों का चयन करने में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं।

8.7.10 महिलाएं और पर्यावरण

महिलाएं परिवार और सामुदायिक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे पर्यावरणीय क्षरण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए, पर्यावरण के संरक्षण और बहाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, महिलाएं सौर ऊर्जा, बायोगैस, धुआं रहित चुला और अन्य ग्रामीण अनुप्रयोगों के उपयोग के प्रचार में भी शामिल हैं ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने और ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली को बदलने में ऐसे उपायों का स्पष्ट प्रभाव पड़ सके।

8.8 राजनीतिक सशक्तिकरण

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों को समान भागीदार के रूप में शामिल करने के लिए समाज का पुनर्निर्माण होता है। घर, कार्यस्थल, समुदायों, सरकार और विश्व समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संबंधों में बदलाव से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि महिलाएं राजनीति और सार्वजनिक जीवन में बढ़ती संख्या में भाग ले रही हैं, फिर भी वे अभी भी सरकार में सत्ता और निर्णय लेने के दायरे से काफी हद तक बाहर हैं और राजनीतिक भागीदारी में एक व्यापक लिंग अंतर अभी भी बना हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय किए हैं। इनमें से, 1992 का 73वां संविधान (संशोधन) अधिनियम भारतीय ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इसने पंचायती राज–जिला, ब्लॉक और गांव के सभी स्तरों पर सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई स्थान सुनिश्चित किया। अब, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग आधी महिलाएँ हैं। इसने उन्हें स्थानीय मुद्दों को गहराई से समझने का अवसर प्रदान

किया, जिससे उनकी क्षमता, जागरूकता और कौशल स्तरों में वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपनी शक्ति के प्रति अधिक मुखर और जागरूक हो गई हैं और उन्होंने नौकरशाही और राजनीतिक बाधाओं से प्रभावी ढंग से निपटना सीख लिया है। साथ ही, उन्होंने अपने दैनिक प्रशासनिक और कार्यान्वयन कर्तव्यों में अधिक पारदर्शिता और दक्षता दिखाई है।

आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। सुश्री छवि राजावत, जो राजस्थान के टोंक जिले के एक गाँव से ताल्लुक रखती थीं, ने टोंक शहर में सरपंच (ग्राम नेता) के रूप में अपनी आकर्षक नौकरी छोड़ दी और पानी की आपूर्ति और सौर ऊर्जा प्रदान करके गाँव में काफी बदलाव लाए, पक्की सड़कों और शौचालयों का निर्माण और बैंकों की स्थापना। इसी तरह, सुश्री. सुश्री आरती देवी, भारत में एक अग्रणी बैंक के साथ एक पूर्व निवेश अधिकारी, ने देश के सबसे कम उम्र के सरपंच नेताओं में से एक के रूप में ओडिशा के गंजम जिले में अपने गांव की मुखिया बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव में लगभग 100ः साक्षरता हासिल करने के लिए महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान शुरू किया। . गुजरात के व्यारा जिले की पहली महिला ग्राम सरपंच सुश्री मीना बहन मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला पंचायत का नेतृत्व करती हैं, जहाँ महिलाओं को पारंपरिक रूप से कभी भी घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं थी। उसने एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया जो उसके गाँव में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ लेकर आया। आरती देवी, भारत में एक अग्रणी बैंक के साथ एक पूर्व निवेश अधिकारी, ने देश के सबसे कम उम्र के सरपंच नेताओं में से एक के रूप में ओडिशा के गंजम जिले में अपने गांव की मुखिया बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव में लगभग 100ः साक्षरता हासिल करने के लिए महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान शुरू किया। गुजरात के व्यारा जिले की पहली महिला ग्राम सरपंच सुश्री मीना बहन मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला पंचायत का नेतृत्व करती हैं, जहाँ महिलाओं को पारंपरिक रूप से कभी भी घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं थी। उसने एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया जो उसके गाँव में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ लेकर आया।

बैठकों की अध्यक्षता करने, सामाजिक मुद्दों से निपटने के निर्णय लेने और अपने गांव के विकास के लिए नेतृत्व करने वाली इन चुनी हुई महिलाओं ने अन्य महिलाओं और लड़कियों को नेता बनने के लिए प्रेरित किया।

8.9 आइए संक्षेप में बताते हैं

महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को दूर करके और समुदाय और समाज में राजनीतिक प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी और समान प्रतिनिधित्व के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करके सशक्त बनाया जा सकता है। भागीदारी महिलाओं को उनकी चिंताओं और जरूरतों को स्पष्ट करने में सक्षम बनाती है, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से उनकी क्षमता की पूर्ति को बढ़ावा देती है, उनकी गरीबी, निरक्षरता और खराब स्वास्थ्य को खत्म करने के लिए सर्वोपरि महत्व देती है और उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हटाती है। महिलाओं को अपने अधिकारों का एहसास करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, जिसमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य अधिकार, पारंपरिक व्यवसायों से परे आय अर्जित करने की उनकी क्षमता

में सुधार के लिए उचित उपाय अपनाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना और श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करना और हिंसा को खत्म करना शामिल है। उनके खिलाफ कानूनों, विनियमों और अन्य उचित उपायों के माध्यम से। सरकार और अन्य संगठनों द्वारा किए गए इस तरह के उपायों से ग्रामीण महिलाओं को काफी मदद मिली है।

8.10 मुख्य शब्द

नीति : निर्णय लेने और तर्कसंगत परिणाम प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट।

कार्यक्रम : दीर्घकालिक उद्देश्य की दिशा में निर्देशित परस्पर संबंधित कार्यों का एक सेट।

विधान : लोगों के एक वर्ग या उनके जीवन के क्षेत्र से संबंधित कानूनों का एक निकाय।

8.11 सुझाए गए अध्ययन

भारत सरकार । (2017)। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति। नई दिल्लीः महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार।

हबीब, नीलोफर, एट अल। 'कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देनाः पुलवामा जिले के निक्कस गांव का एक केस स्टडी'। सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान जर्नल, 10 (4)।

कौर, अमरिंदर। (2018). 'भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण'। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च, 3 (1): 42–45।

नंदी, शुभलक्ष्मी। (2020)। 'भारत में महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रोडमैप'। पॉलिसी पेपर, संयुक्त राष्ट्र महिला, 2020।

सेनगुप्ता, अंतरा। (2020)। एनईपी 2020: व्यावसायिक शिक्षा को श्रम बाजार में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। नई दिल्लीः ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।

ग्रामीण भारत में महिला, भूमि और कृषि (2012), केस स्टडीज का संकलन। नई दिल्लीः संयुक्त राष्ट्र महिला।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY